न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 10/ 2021
GCMS रजिस्ट्रेशन संख्या : 2021/47

प्रार्थी/अपीलार्थी :-	बनाम	अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स-
श्री मकन पिता श्री वाला जाति भील निवासी माजिया तहसील गढी हाल तहसील अरथुना, बॉसवाडा (राजस्थान)		1. श्री छगन पिता वाला जाति भील निवासी माजिया तहसील गढी हाल तहसील अरथुना, बॉसवाडा 2. तहसीलदार तहसील गढी हाल अरथुना जिला बॉसवाडा

उपस्थित

श्री तसलीम अहमद, अधिवक्ता अपीलांट

श्री अब्दुल अजीज खान, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

श्री भूपेन्द्र जैन, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक :– 12–10–2022

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि छगन पिता वाला को ग्राम नाहली खसरा नंबर 3360 रकबा 0.04 है व 3361 रकबा 0.20 है का प्रशासन गॉवो के संग अभियान 2001 में नियमन किया गया, तहसीलदार गढी द्वारा जरिये नामान्तरकरण सं. 360 दिनांक 30.08.2002 दर्ज किया गया। उक्त नियमन शुदा कृषि भूमि पर खातेदार द्वारा नियमन शर्तो की पालना करने पर खातेदारी हक प्रदान करते हुए नामान्तरकरण सं. 503 दिनांक 10.01.2006 दर्ज किया गया। अपीलांट अनुसार ग्राम नाहली सर्वे नं 3360 रकबा 0.07 है. किस्म रास्ता व जंगल तथा सर्वे नं. 3361 रकबा 0.51 है. किस्म जंगल दर्ज है। किस्म जंगल व रास्ता आवंटन/ नियमन में वर्जित किस्म है। रेस्पोडेंट स.1 द्वारा रास्ते की भूमि मे कुआ बना दिया है एवं रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। तहसीलदार गढी द्वारा रेस्पोडेंट को किये गये नियमन के पश्चात् दर्ज नामान्तरकरण सं. 360 दिनांक 30.08.2002 व खातेदारी हक प्रदान करने के पश्चात् दर्ज नामान्तरकरण दिनांक 10.01.2006 से असन्तुष्ट

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:07:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with Oken Scanner

व अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट संलग्न है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेण्टस् को समन जारी किये गए। रेस्पोडेंट की ओर से श्री अजीत सिंह चौहान, श्री अब्दुल अजीज खान अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। दिनांक 10.03.2022 को रेसपोडेंट छगन की ओर से उनके अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया जिसमे उल्लेखित किया गया है कि सर्वे नं. एवं उसकी किस्म का अंकन अवश्य किया गया है किन्तु रेस्पोडेंट नं. 1 के नाम उक्त सर्वे नम्बर 6164/3360 एवं 6165/3361 होकर उनके रकबा 0.04 एवं 0.20 हैक्टेयर तथा दोनो की किस्म मगरी हैं और कुल क्षेत्रफल 0.24 हैक्टेयर है। जबकि अपीलान्ट द्वारा जिन सर्वे नं. 3360 एवं 3361 का कुल रकबा 0.58 हैक्टेयर हैं। नामान्तकरण संख्या 503 दिनांक 10.01.2006 एवं 360 दिनांक 30.08.2002 विधि विरूद्ध, प्राकृतिक न्याय एवं नियमों कि अवहेलना करके नहीं खोले गये हैं क्योकि नामान्तकरण संख्या 360 दिनांक 30.08.2021 प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत खुले में लिये गये निर्णय के आधार पर वर्ष 2001 में स्वीकृत हुआ था और उसी अनुरूप उक्त दिनांक को नामान्तकरण किया गया जिसकी जानकारी ग्रामवासी होने के आधार पर अपीलान्ट को थी और उस वक्त अपीलान्ट द्वारा विरोध नहीं करने का अभिप्राय उसकी मौन स्वीकृति थी। आराजी सर्वे नं. 3360 एवं 3361 का राजस्व रिकॉर्ड में जो अंकन है वह सही हो सकता है किन्तु रेस्पोडेंट को उक्त सर्वे नम्बर का नामान्तकरण नहीं हुआ है। नामान्तकरण पत्र में साशय कांट-छांट नहीं है और लिपि की त्रुटि का संशोधन मात्र है। केवल लिपिकिय त्रुटि में सुधार किसी दस्तावेज की सत्यता को समाप्त नहीं करता है। मजमाए आम में स्वीकृत नामान्तकरण वैद्य एवं युक्तियुक्त है। रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी भी रास्ते की जमीन को अवरूद्ध नहीं किया गया है पूर्ण स्वीकृति के साथ नियत स्थान पर कुए का निर्माण किया गया है। नामान्तकरण की समस्त प्रक्रिया का पालन कर एवं कब्जे का संज्ञान लेकर नियमानुसार नामान्तकरण निष्पादित किया गया है। उक्त अपील प्रार्थी की प्रसंज्ञान में नामान्करण होने की तिथि से ही थी और उसकी सहमति से भी थी। इस कारण उक्त अपील मियाद से बाहर होकर अपास्त करने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से दिनांक 08.02.2022 [illegible] प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेखित किया गया है कि छगन पिता वाल [illegible] खसरा नं. 3360 [illegible] 3061 रकबा 0.04 हें व 0.20

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:07:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with Oken Scanner

है ग्राम नाहली में प्रशासन गांवो के संग अभियान 2001 के दौरान मजमेआम में नियमन किया गया है जिसका जरिये नामान्तरकरण संख्या 360 से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया है। एवं छगन पिता वाला द्वारा नियमन के पश्चात उक्त नियमनशुदा कृषि भूमि पर निर्बाधरूप से कृषिकार्य करने एवं आरक्षित मूल्य की राशि जामकोष कराने के उपरांत छगन पिता वाला को खातेदारी हक प्रदान किया गया है। जिसक जरिये नामान्तरकरण संख्या 503 से राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निराधार होकर काबिल निरस्ती योग्य है।

दिनांक 28.09.2022 को उभयपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र श्री प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान ग्राम पंचायत नाहली तहसील अरथुना के समक्ष दिनांक 14.10.2021 को प्रस्तुत किया जिस पर कहा गया कि, उक्त नामान्तरकरण निरस्ती के अधिकार श्रीमान् को है जिस कारण से उक्त अपील श्रीमान् को प्रस्तुत की जा रही है। जिसकी देरी का कारण वास्तविक व सद्भावना पूर्ण है जिसमें जानबुझकर कोई देरी नहीं की गई है यदि देरी कन्डोन नही की तो अपीलान्ट उचित न्याय से वंचित रह जायेगा। जिस कारण अपील को अन्दर मयाद समायत कर सुनवाई हेतु प्रार्थना है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील पर बहस के दौरान कथन किया कि नामान्तरकरण संख्या 503 दिनांक 10.01.2006 एवं नामान्तरकरण संख्या 360 दिनांक 30.08.2002 विधि विरूद्ध, प्राकृतिक न्याय व नियमो की अवहेलना करते हुवे खोले गये है। खाता संख्या 1 नया व 1 पुराना सर्वे नं. 3360 रकबा 0.07 है. किस्म रास्ता व जंगल एवं सर्वे नं. 3361 रकबा 0.51 है., किस्म जंगल वाके ग्राम नाहली हाल राजस्व ग्राम माजिया पटवार हल्का टामटिया राठौड तहसील गढी जिला बांसवाडा राजस्थान की जमाबन्दी संवत् 2053 से 2056 मे दर्ज रेकार्ड है जिसे बिना किसी आदेश अधिसूचनाओ, परिपत्रों, राज्याज्ञाओं व गैर कानूरी रूप से रेसपोडेन्ट संख्या 1 के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 360 दिनांक 30.08.2002 द्वारा दर्ज रिकार्ड कर दिया जिस नामान्तरकरण में काट–छांट की गई है जो टेम्परिंग कर रेसपोडेन्ट संख्या 1 के नाम गलत तरीके से एवं उसे लाभ पहुचाने की गरज से किया गया है। रास्ता व जंगल की भूमि की किस्म को बदलने का अधिकार क्षेत्र न होते हुए भी इसे अवेधानिक रूप से मगरा दर्ज ... संख्या 1 से मिली भक्ति व लाभ पहुचाने की गरज से उक्त परिवर्तन करना एवं उसने ... करने व राजस्व रेकार्ड से

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:07:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with Oken Scanner

छेड़ छाड व हेरा फेरी करना स्पष्ट प्रतीत होता है। नामान्तरकरण संख्या 503 दिनांक 10.01.2006 को खातेदारी दी गई है वह भी नियम, उपनियम एवं कानून की अवहेलना कर बिना जॉच व रिपोर्ट के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रास्ते की भूमि में जोरजबरदस्ती कुआ बना दिया है एवं रास्ता अवरूद्ध कर दिया है जिसकी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई हक व अधिकार नहीं है। नामान्तरकरण से पूर्व मौके की वास्तविक जॉच नहीं की न ही रिकार्ड की जॉच की गई। श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर श्रीमान् तहसीलदार, गढी जिला बांसवाडा के नामान्तरकरण संख्या 503 दिनांक 10.01.2006 एवं नामान्तारकरण संख्या 360 दिनांक 30.08.2002 को निरस्त फरमावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी की प्रसंज्ञान में नामान्करण होने की तिथि से ही थी और उसकी सहमति से भी थी। इस कारण उक्त अपील मियाद से बाहर होकर अपास्त करने योग्य है। सर्वे नं. एवं उसकी किस्म का अंकन अवश्य किया गया है किन्तु रेस्पोडेंट नं. 1 के नाम उक्त सर्वे नम्बर 6164/3360 एवं 6165/3361 होकर उनके रकबा 0.04 एवं 0.20 हैक्टेयर तथा दोनो की किस्म मगरी हैं और कुल क्षेत्रफल 0.24 हैक्टेयर है। जबकि अपीलान्ट द्वारा जिन सर्वे नं. 3360 एवं 3361 का कुल रकबा 0.58 हैक्टेयर हैं। नामान्तकरण संख्या 503 दिनांक 10.01.2006 एव 360 दिनांक 30.08.2002 विधि विरूद्ध, प्राकृतिक न्याय एवं नियमों कि अवहेलना करके नहीं खोले गये है। नामान्तकरण पत्र में साशय कांट–छांट नहीं है और लिपि की त्रुटि का संशोधन मात्र है। केवल लिपिकिय त्रुटि में सुधार किसी दस्तावेज की सत्यता को समाप्त नहीं करता है। मजमाए आम में स्वीकृत नामान्तकरण वैद्य एवं युक्तियुक्त है। रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी भी रास्ते की जमीन को अवरूद्ध नहीं किया गया है पूर्ण स्वीकृति के साथ नियत स्थान पर कुए का निर्माण किया गया है। नामान्तकरण की समस्त प्रक्रिया का पालन कर एवं कब्जे का संज्ञान लेकर नियमानुसार नामान्तकरण निष्पादित किया गया है। अपील अपीलांट निरस्त योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि छगन पिता वाला को खसरा नं. 3360 एवं 3061 रकबा 0.04 हें व [illegible] के संग अभियान 2001 के दौरान मजमेआम में नियमन किया [illegible] 360 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:07:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with Oken Scanner

राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया है। एवं छगन पिता वाला द्वारा नियमन के पश्चात उक्त नियमनशुदा कृषि भूमि पर निर्बाधरूप से कृषि कार्य करने एवं आरक्षित मूल्य की राशि जामकोष कराने के उपरांत छगन पिता वाला को खातेदारी हक प्रदान किया गया है। अपीलांट ने इस प्रकरण में नियमन को प्रश्नगत कर नामान्तरकरण निरस्त करने निवेदन किया है। यदि नियमन गलत हुआ है तो नियमानुसार नियमन को निरस्त करने हेतु पृथक से वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। अपील अपीलांट निरस्त योग्य है।

जहां तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निरतारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करने के विनिश्चय के पश्चात् उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखो का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने आंशिक जमाबंदी नकल संवत् 2053-56 ग्राम नाहली पटवार मण्डल टामटिया राठौड तहसील गढी श्री सरकार भूमि खसरा नं. 3360 रकबा 0.07 है. किस्म रास्ता,जंगल, 3361 रकबा 0.51 है. किस्म जंगल के आधार पर नामान्तरकरण सं. 360 दिनांक 30.08.2002 एव 503 दिनांक 10.01.2006 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की है। रेस्पोडेंट श्री छगन पिता वाला को ग्राम नाहली में खसरा नंबर 3360 रकबा 0.04 है., खसरा नंबर 3361 रकबा 0.20 है. किस्म मगरी का प्रशासन गॉव के संग अभियान 2001 में दिनांक 01.12.2001 को नियमन किया गया है जिसके आधार पर तहसीलदार गढी ने नामान्तरकरण सं 360 दिनांक 30.08.2002 दर्ज किया गया है, तत्पश्चात् खातेदार रेस्पोडेंट द्वारा खातेदारी शर्तो की पालना करने पर जरिये नामान्तरकरण सं. 503 दिनांक 10.01.2006 स्वीकृत किया है। अपीलांट ने नियमन को कही पर भी चुनौती नही दी गई है मात्र नियमन के आधार पर हुए नामान्तरकरण को निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है। तत्समय प्रशासन गॉव के संग अभियान में दिनांक 01.12.2001 को हुआ नियमन अस्तित्व मे होकर उक्त नियमन के आधार पर स्वीकृत प्रश्नगत नामान्तरकरण भी अस्तित्व मे है। अतः खातेदार [illegible] गये नियमन के आधार पर नियमानुसार स्वीकृत नामान्तरकरण एवं खातेदार द्वारा खातेदारी [illegible] की पालना के आधार पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:07:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with Oken Scanner

नियमानुसार स्वीकृत नामान्तरकरण में हम कोई हस्तक्षेप करना नही चाहते है। अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। तहसीलदार गढी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 360 दिनांक 30.08.2002 एवं नामान्तरकरण सं. 503 दिनांक 10.01.2006 को यथावत रखा जाता है। अपीलांट सुसंगत साक्ष्य जुटाकर नियमन के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 12–10–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:07:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner